

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 21.02.19

विषय:- विभिन्न नगर निकायों में पूर्व में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए देनदारी की राशि कुल ₹85.48022 लाख (पचासी लाख अड़तालीस हजार बाईस रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर पंचायत, जगदीशपुर में पथ एवं पुलिया निर्माण मद की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजनाओं को स्तम्भ- 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 के अनुरूप राशि आवंटित की गई थी। आवंटित राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि की अधियाचना कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर के पत्रांक- 586, दिनांक- 02.05.2019 द्वारा किया गया है।

2. उक्त अधियाचना के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 8 के अनुरूप देनदारी की कुल राशि ₹85.48022 लाख (पचासी लाख अड़तालीस हजार बाईस रु०) मात्र की स्वीकृति पथ एवं पुलिया निर्माण मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश /दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (5-6)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर पंचायत, जगदीशपुर	सुरेन्द्र साह के मकान होते तकिया होते ईदगाह तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	133 / 28.02.2019	39.82067	19.91034	19.91033	19.91033
2		सरकारी चौक होते रजिस्ट्री ऑफिस होते पठानटोली होते शहजाद खों के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।		46.13348	23.06674	23.06674	23.06674
3		वार्ड नं०- 08, 09, 10 एवं 11 में मंगरी चौक से मिलिन्द चौधरी के घर होते रविन्द्र चौधरी के घर तक बाला तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	125 / 12.02.2019	45.08135	23.54067	21.54068	21.54068

4

4	वार्ड नं०- 14 में श्रवण जी के मकान से शर्मा जी के घर होते तुरह तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	41.92494	20.96247	20.96247	20.96247
योग		172.96044	87.48022	85.48022	85.48022

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹85.48022 लाख (पचासी लाख अड़तालीस हजार बाईस रु०) मात्र।

*इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।*

3. उक्त स्वीकृत ₹85.48022 लाख (पचासी लाख अड़तालीस हजार बाईस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
6. उक्त स्वीकृत ₹85.48022 लाख (पचासी लाख अड़तालीस हजार बाईस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930103, विषय शीर्ष- 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।
7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-01/2019 के पृष्ठ सं०-.....12...../टि० पर दिनांक-11/07/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....13...../टि० पर दिनांक-11/07/2019 को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12-07-19

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2019 4। /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-12-07-19

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12-07-19

सरकार के विशेष सचिव ।